छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. एफ 13–5 / 2016 / 20–तीन (1), नया रायपुर 27 / 05 / 2016

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला – बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम,कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा
2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   जिला – बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम,कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषयः–पब्लिक प्रायवेट पार्टनर्शिप योजना के 59 डीएव्ही पब्लिक स्कूल में छात्रों का प्रवेश नियम के संबंध में।

छ.ग.शासन द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पूर्व से संचालित मॉडल स्कूलों का पब्लिक प्रायवेट पार्टनर्शिप योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। यह स्कूल **डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल** के नाम से संचालित होंगे। इनमें से 59 विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन निम्नानुसार होगाः–

1. दो तिहाई विद्यार्थी डीएव्ही मैनेजमेंट कमिटी द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें निर्णय के लिए डीएव्ही मैनेजमेंट कमिटी स्वतंत्र होगी।
2. चूंकि ये विद्यालय निजी संस्था के रूप में संचालित होगा, अतः 25 प्रतिशत् विद्यार्थियों का चयन शिक्षा के अधिकार अधिनियम हेतु छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 13–07 / 2013 / 20–तीन, नया रायपुर दिनांक 22.01.2016 के अनुसार होगा। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. 08 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थी जो केवल बीपीएल श्रेणी में होंगे, जिनका प्रवेश निम्नानुसार करेंगेः–

i. विद्यार्थियों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार करेंः–

i. संबंधित जिला का कलेक्टर	–	अध्यक्ष
ii. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	–	सदस्य
iii. प्राचार्य संबंधित मॉडल स्कूल	–	सदस्य
iv. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण	–	सदस्य
v. जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव

ii. 08 प्रतिशत् निःशुल्क शासकीय कोटे में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रकिया की पूरी तैयारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश प्रकिया का आयोजन जैसेः– आवेदन पत्र आमंत्रित करना, सारिणीकरण यथा कमवार सूचीबद्ध करना तथा आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों का चयन की